नेशनल लोक अदालत

चर्चा में क्यों?

8 मार्च 2025 को **राज्य** विधिक सेवा प्राधिकरण **जबलपुर** के आदेश पर **नेशनल** लोक अदालत का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में**
  - **इस नेशनल लोक अदालत** में विद्युत अधिनियम 2003**, धारा 135** के तहत लंबित बिजली चोरी एवं अनियमितता के मामलों को **आपसी समझौते** के माध्यम से निपटाने का अवसर प्रदान किया गया।
  - **ऊर्जा मंत्री** ने उपभोक्ताओं से **कानूनी कार्यवाही से बचने** और छूट का लाभ उठाने के लिये संबंधित **बिजली कार्यालय से संपर्क करने** की अपील की।
- **छूट का दायरा एवं पात्रता**
  - **निम्न दाब श्रेणी** के **घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू एवं 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ता** इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
  - केवल **पहली बार बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं** को ही छूट मिलेगी।
  - पूर्व में **लोक अदालत/न्यायालय से छूट प्राप्त उपभोक्ताओं** को दोबारा छूट नहीं मिलेगी।
  - **सामान्य बिजली बिलों की बकाया राशि** पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

लोक अदालत

- **परिचय:**
  - 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनिर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
  - यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
  - पहला **लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी** के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के निर्णयों हेतु आयोजित किया गया था।
  - समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत वैधानिक दर्ज़ा दिया गया था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज़ से संबंधित प्रावधान करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-lok-adalat-3